उत्तर प्रदेश शासन

पर्यटन विभाग

संख्या- 114/2020/491/41-2020-01 सा0/2018

लखनऊः दिनांक 20 मार्च, 2020

कार्यालय-ज्ञाप

उत्तर प्रदेश, पर्यटन विभाग के बढ़ते आयाम एवं क्षेत्र के दृष्टिगत पर्यटन विकास के कार्यो को त्वरित गति प्रदान करने हेतु पर्यटन निदेशालय उत्तर प्रदेश एवं शासन के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए कार्यो को समय से सम्पादित किये जाने के लिये पर्यटन अनुभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-154/2018/2240/41-2018-01सा0/2018 दिनांक 29 अगस्त, 2018 द्वारा पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 मुख्यालय पर 'विशेष कार्याधिकारी' का एक नि:संवर्गीय पद वेतनमान रू0-15600-39100 ग्रेड-पे रू0 5400/- मैट्रिक्स लेवल-10 (56100-177500) में सृजित करते हुए इस नि:संवर्गीय पद पर श्रीमती प्रमिला किशोर पत्नी स्व0 हरिराज किशोर, आई0ए0एस0 को मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2- विशेष कार्याधिकारी के सृजित उक्त नि:संवर्गीय पद की आवश्यकता एवं औचित्य पाये जाने के दृष्टिगत वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-ए-2-2574/दस-98-24(8)/92 दिनांक 02 दिसम्बर, 1998 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार इस पद की निरन्तरता दिनांक 29 फरवरी, 2020 से 28 फरवरी, 2021 तक बढ़ाये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-7-362/दस/2020 दिनांक 20 मार्च, 2020 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 114/2020/491/41-2020-01 सा0/2018 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र सं0-5839/2-9(ओ0एस0डी0)/का0/2018 दिनांक 28 जनवरी, 2020 के अनुक्रम में।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- संयुक्त निदेशक, पर्यटन उ0प्र0 लखनऊ।
8- वित्त (व्यय) नियंत्रण अनुभाग-7।
9- श्रीमती प्रमिला किशोर, विशेष कार्याधिकारी, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
10- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
11- गार्ड-फाइल।

(ए0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in